Title: Requests to give financial assistance to the State Governments to provide old age pension and need to give old age pension to 8,50,850 aged people in Madhya Pradesh.

श्री रामानन्द सिंह (सतना): सभापति महोदय, देश के राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन वर्ष १९९१ की जनगणना के हिसाब से दी जा रही है जबकि विगत ७-८ वर्षों में वृद्धों की संख्या में राज्यवार वृद्धि हुई है। मध्यप्रदेश में ४,८,८०० लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दी जा रही है जबकि मध्यप्रदेश में जिला पंचायतों के प्रतिवेदन के आधार पर ५,५०,८५० वृद्धों को पेंशन प्रदान की जानी चाहिए। वृद्धों की संख्या में यह बढोत्तरी प्रत्येक राज्य में हुई है। म.प्र.जैसे आदिवासी बहुल राज्य में वृद्धों की संख्या के अनुपात में पेंशन राशि न देने से गरीब आदिवासी वृद्धों की कठिनाई और भी बढ़ जाती है।

म.प्र.के शासन ने भारत सरकार को कई अर्धशासकीय पत्र लिख कर वृद्धों की संख्या की वृद्धि के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की मांग की है, किन्तु भारत सरकार ने म.प्र.के वृद्धों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पेंशन राशि नहीं बढ़ाई। यही स्थिति कमोबेश पूरे प्रदेशों की है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि वृद्धा वस्था पेंशन वृद्धों की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करें तथा मध्यप्रदेश के ८,५०,८५० वृद्धों को पेंशन की व्यवस्था कराएं।